भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
मौखिक प्रश्न सं. 59 #
गुरुवार, 07 दिसम्बर, 2023/16 अग्रहायण, 1945 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

उत्तराखंड में तीर्थयात्राओं और धार्मिक मेलों हेतु हवाई यात्रा किराये को कम किया जाना

59 # डा. कल्पना सैनी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के पास उत्तराखंड में तीर्थयात्राओं और धार्मिक मेलों जैसी गतिविधियों में आने वाले लोगों के लिए हवाई यात्रा के किराये को कम करने और यात्रा को सस्ती एवं सुगम बनाने के लिए कोई रूपरेखा है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस संदर्भ में किये जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (ख): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

*****

डा. कल्पना सैनी द्वारा उत्तराखंड में तीर्थयात्राओं और धार्मिक मेलों हेतु हवाई यात्रा किराये को कम किये जाने के संबंध में दिनांक 07.12.2023 को पूछे जाने वाले राज्य सभा के मौखिक प्रश्न सं. 59 # के भाग (क) से (ख) के उत्तर में **विवरण**

(क) से (ख): नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार ने यह सूचित किया है कि मौजूदा विनियम के अनुसार हवाई किराये का निर्धारण या विनियमन सरकार द्वारा नहीं किया जाता है ।

वायु निगम अधिनियम को वर्ष 1994 में निरस्त किए जाने के साथ ही सरकार द्वारा हवाई किराए को अनुमोदित किए जाने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है । वायुयान नियमावली 1937 के नियम 135 के उपनियम (1) के प्रावधान के तहत अनुसूचित हवाई सेवाओं से जुड़े प्रत्येक हवाई परिवहन उपक्रम द्वारा प्रचालन लागत, सेवा संबंधी विशेषताओं, उचित लाभ और सामान्यतः प्रचलित टैरिफ सहित सभी संगत कारकों को ध्यान में रखते हुए टैरिफ का निर्धारण किया जाना अपेक्षित है । एयरलाइन ऊपर उल्लिखित नियम के अनुपालन की शर्त पर अपनी प्रचालन व्यवहार्यताओं के अनुसार उचित हवाई किराया प्रभारित करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

*****